राष्ट्रीय जल सम्मेलन

मध्य प्रदेश सरकार एवं जल जन जोडो अभियान

दिनांक - 11 फरवरी 2020

आयोजन स्थल -मिन्टो हॉल, भोपाल (म0प्र0)

11 फरवरी 2020 जल जन जोडो अभियान व म0प्र0 सरकार के संयुक्त प्रयास द्वारा म0प्र0 राज्य में “जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम” बनने के संदर्भ में भोपालमें राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि म0प्र0 राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ जी व विश्व भर में जल पुरुष के नाम से विख्यात श्री राजेन्द्र सिंह जी ने अध्यक्षता की इसके अतिरिक्त देश के 25 राज्यों से आए जल विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, विद्वानों व विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, समाज सेवक, जल संरक्षण में रुचि रखने वाले 550 व्यक्ति और कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। सम्मेलन के उदघाटन सत्र में म0प्र0 के मुख्य सचिव श्री एस0 आर मोहन्ती अपर मुख्य सचिव पंचायती रात एवं ग्रामिण विकास श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं लोक स्वस्थ्य मंत्री के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला जी विशेष रुप से उपस्तिथि रही। उद्देश्य – इस राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लोगों जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना, जल संरक्षण के हित में किये गए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किए गये प्रयासों के बारे में जानना व मध्य प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम बनने वाले “जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम” के संदर्भ में लोगों के सुझाव व विचारों को जानना था। कार्यक्रम का शुभारम्भ म0प्र0 राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के हाथों से दीप प्रज्वलन करा व स्वास्तीवाचन के साथ किया गया । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अनुभवों को सांझा करते हुए अपने पर्यावरण व प्रकृति के प्रति प्रेम और लगाव के बारे में बताया माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रेम ओर लगाव की ही देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि –सबका जीवन जल से जुडा है, लेकिन मेरा राजनैतिक जीवन भी जल से जुडा है। उन्होंने कहा कि सन् 1969 में छिंदवाडा के सौसर में कुछ महिलाऐं मुझसे मिलने के लिए 3 घण्टे से खडी हुयी थी। जब मैने उनसे पूछा कि उनकी समस्या क्या है तो उन्होंने बताया किउनके गांव में पानी नहीं है तथा पानी 12 किलोमीटर दूर से लाना पडता है, जिससे उनकें गांव के लडको की शादी नही हो रही है। उस समय मैने तय किया कि – ***“मुझे राजनीति में आकर इन जिम्मेदारियों को निभाना पडेगा।”***

उन्होंने सम्मेलन के आयोजन पर कहा कि आज पानी के सम्बन्ध में सबसे बडी चुनौती बारिस का कम होना है और लापरवाहियों और आदतो से नदियां, नाले सूख रहे है। आज से 40–45 वर्ष पहले यह नदियां पानी से भरी हुयी थी। मध्य प्रदेश में 164 प्रमुख रिजरवायर में से गर्मियों में लगभग64 रिजरवायर सूख जाते है और शेष अन्य को भी पानी की कमी का सामना करना पडता है।

यह समस्या आने वाले दिनों में और बढने वाली है, इसलिए जल अधिकार कानून की आज सख्त जरूरत है। जो जल संरक्षण एवं सम्बर्द्धन को बढावा देती हैं।

श्री नाथ ने कहा कि पानी की समस्या हल करने के लिए नई–नई तकनीक विकसित हो चुकी है, पहले की तरह पा. इपलाइन और कैनाल की जगह कई और विकल्प और आ गये है।

इन तकनीको पर हमें सोचनाचाहिए। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन पर इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था उस वक्त जंगल एवं पर्यावरण की बाते हो रही थी लेकिन यह दोनों को बचाना बिना पानी के असम्भव है। उन्होंने जल पुरूष राजेन्द्र सिंह से आग्रह किया कि जल अधिकार कानून उनका सपना है और इसे मूर्तरूप देने के लिए श्रीसिंह अधिकतर समय मध्य प्रदेश में प्रदान करे। जल सम्मेलन में मुख्यमंत्री को तरूण भारत संघ की ओर से पर्यावरण संरक्षण सम्मान प्रदान किया गया।

लोक स्वास्थ्य यात्रिंकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पहल पर मध्य प्रदेश में जो जल अधिकार बिल लाया जा रहा है, जिसमें सभी का पानी पर बराबरी का हक होगा। उन्होंने कहा कि इन्सान को हवा के बाद अगर जीने के लिए किसी भी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो वह जल है।

लेकिन लगातार हम सबने इसकी उपेक्षा की है इसलिए जल संकट और बढा है। मध्य प्रदेश के द्वारा सबसे पहले जल अधिकार बिल लाया जा रहा है। श्री पांसे ने कहा कि हम इस प्रकृति के अनमोल उपहार को संरक्षित करे एवं संवारे, पानी को शोधन करे जिससे दोबारा उसी पानी का उपयोग किया जा सके। अभी राज्य में केवल 12 प्रतिशत घरो में ही नल के द्वारा जल उपलब्ध कराया जा रहा है, हमारे विभाग का प्रयास है कि इस जल अधिकार बिल के द्वारा न्यूनतम 55 लीटर शुद्ध जल प्रति व्यक्ति पहुँचाया जाये। सम्मेलन में उपस्थित तेलगंना जल बोर्ड के अध्यक्ष प्रकाश राव जी ने तेलंगाना राज्य के विषय में बताते हुए कहा कि वहां की सरकार 1 करोड 10 लाख घरों को मुफ्त में पानी उपलब्ध करा रही है जिसमें से 135 ली0/व्यक्ति शहर व 100 ली0/व्यक्ति गांव में जल उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके संगठित प्रयासों से भू–जल स्तर 3–4 मीटर तक ऊपर आया है व तालाबों की क्षमता बढ़ी है। साथ ही उन्होने कहा कि जल्द ही तेलंगाना में Water Litracy Center शुरू होना है,जिसका उद्‌घाटन श्री जल पुरूष जी द्वारा किया जायेगा साथ ही उन्होने कहा कि वे प्रयास करेगें कि तेलंगाना राज्य में भी जल्द ऐसा कानून बनाया जाए। सम्मेलन में उपस्थित सम्पूर्ण क्रांति के योद्धा एवं झारखण्ड के विधायक सरयू राय ने कहा कि कार्यक्रम, नीतियां बनती है लेकिन उनकों लागू करने में मुश्किल आती है। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश का यह कानून समाज को अधिकार के साथ जिम्मेदारी का अहसास भी करायेगा। उन्होने कहा कि जल संरक्षण को लेकर पहली जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। पानी को लेकर समाज की सोच बदले जिससे वे जल संरक्षण हेतु स्वयं की भी जिम्मेदारी समझे। साथ ही उन्होने कहा कि जल नीति में पहली बात पीने के पीनी की हो, दूसरी सिचाईं और तीसरी उधोगों के लिए हो। लघु जल स्रोतों का संरक्षण करें क्योंकि सभी बड़ी नदियां छोटी–छोटी नदियों से मिलकर बनती हैं। उन्होने कहा कि जल अधिकार कानून अवश्य बनना चाहिए क्योंकि जो चीजें मुफ्त में प्राप्त होती हैं, उनका मूल्य नहीं समझा जाता और सभी को खेत का पानी खेत में और नदी का पानी नदी में इस पुरानी परिकल. पना से हटकर कार्य करना होगा व जल व्यवस्था को लेकर समाज व सामाजिक संस्कृति को जानकर आगे बढ़ें व समाज को जागरूक करें।

विश्व बैंक समूह के 2030ॅत्ळके वरिष्ठ सलाहकार अनिल सिन्हा ने कहा कि प्रस्तावित कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय आदि सभी हितधारकों को एक प्लेटफार्म पर आकर कार्य करना होगा।

उन्होने कहा कि जल अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए सभी संस्थाओं को संयुक्त एवं व्यवस्थित रूप से कार्य करना

होगा। सबसे पहले जल को लेकर समस्या व समस्या का कारण जाने फिर उसका विश्लेषण करें तभी उसका समाधान कर सकेगें। सम्मेलन में आए डॉ0 कृष्णा खेरनार (नीरी) ने बताया कि जल की आवश्यकता को देखते हुए जल अभिलेख एप बनाया जो पुदुचेरी के लोगों के लिए काफी सहायक है। साथ ही अपने विचारों को रखते हुए कहा कि सबसे पहले हमें ऐसी वाटर

वॉडीज का पता लगाना चाहिए जो खत्म हो गई हैं और उस स्थान का विकास कर दिया गया हो मंदिर, पार्क आदि बनाकर या हो रहा है तो उन्हे रोकना चाहिए और जल स्रोतों के पुर्नजीवन हेतु प्रयास करना चाहिए क्योकिपुदुचेरी में भी 22प्रतिशत जल स्रोत पुर्नजीवित किए गये है। राष्ट्रीयजल

सम्मेलन में आए जलगुरू के नाम से विख्यात, उत्तर प्रदेश सरकार के जल संरक्षण सलाहकार एवं सजल भारत अभियान वउत्तर प्रदेश पुलिस पूर्व में पुलिसमहानिदेशक श्री महेन्द्र मोदी जी ने कहा कि पूरा समाज मिलकर यदि श्रमदान करे तो सभी जल संरचनाओं को पुनरूद्धार कियाजा सकता है। जल संरक्षण पर विचार रखते हुए इन्होने बताया कि यदि सभी लोग बरसात में घरों व छतों पर एकत्रित होने वाले जल को संरक्षित कर उसे उपयोग करे तो जल की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है जिसे वे स्वयं बना बिजली का उपयोग किए मॉडल उत्तर प्रदेश के झांसी–ललितपुर सहित अन्य स्थानों पर कार्य कर रहें हैं। उन्होने कहा कि जल सुरक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी को अधिकार के अतिरिक्त कर्तव्य भी निर्धारित करने चाहिए जिससे जल व्यर्थ न हो और लोगों को श्रमदान के लिए प्रेरित कर जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य करना चाहिए।

वरिष्ठ पर्यावरणविद व तरूण भारत संघ की उपाध्यक्ष डॉ0 इन्दिरा खुराना ने कहा कि अधिकार एवं कानून एक दसूरे से जुडे हुये है, पहले लोगों को अधिकार मिले फिर जिम्मेदारी अपने आप उनमें आ जाती है, कानून के प्रावधान में यह ध्यान रखना होगा कि लोगों को पानी बहुत दूर से ना लाना पडे, इससे समय और खर्च दोनों बढता है। पश्चिम बंगाल से आयीजल नायक की उपाधि प्राप्त श्री मती स्नेहल डोन्डे जी ने कहा कि जल संरक्षण को लेकर लोगों में ज्ञान का अभाव है जिससे वे समझा नही पाते कि उन्हे क्या करना है और क्या नहीं। किसी भी योजना कि लिए आवश्यक है कि समय–समय पर उसकी मॉनीटरिंग हो, योजना में पारदर्शिता हो, मैपिंग अच्छी हो, आम जन में सोशल ऑडिट के प्रति जागरूकता हो, डाटा सुधार हेतु डाटा बैंक हो और ड्राफ्टिंग पावर व जिम्मेदारियों को रेखांकित किया जाना चाहिए। त्रिपुरा से आए वैज्ञानिक प्रमोद कुमार पाण्डे जी ने जल संरक्षण के साथ–साथ जलीय जीवों के विलुप्तीकरण पर चिन्ता जाहिर करते हुए कहा कि वर्तमान समय में जल के साथ–साथ जलगीय जीव जैसे–अनेक प्रकार की मछलियां भी विलुप्त हो गई हैं या विलुप्ती की कगार पर हैं, जिसका प्रमुख कारण जल प्रदूषण या जल स्रतों का सूखना है अतः इन सब पर जल्द ही नियंत्रण करना होगा।किसान अपने खेतों में तालाब या जलकुण्ड बनायें जिससे वाटर रिचार्ज, मछली पालन, खेती व जलीय जीवों का बचाव किया जा सके। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए जल पुरूष राजेन्द्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल अधिकार को लेकर जो मसौदा बना है यहां उपस्थित 25 प्रदेशों के प्रतिनिधि अपने–अपने राज्यों में इस प्रारूप को लागू कराने के लिए अपने–अपने मुख्यमंत्रियो से चर्चा करेगे।

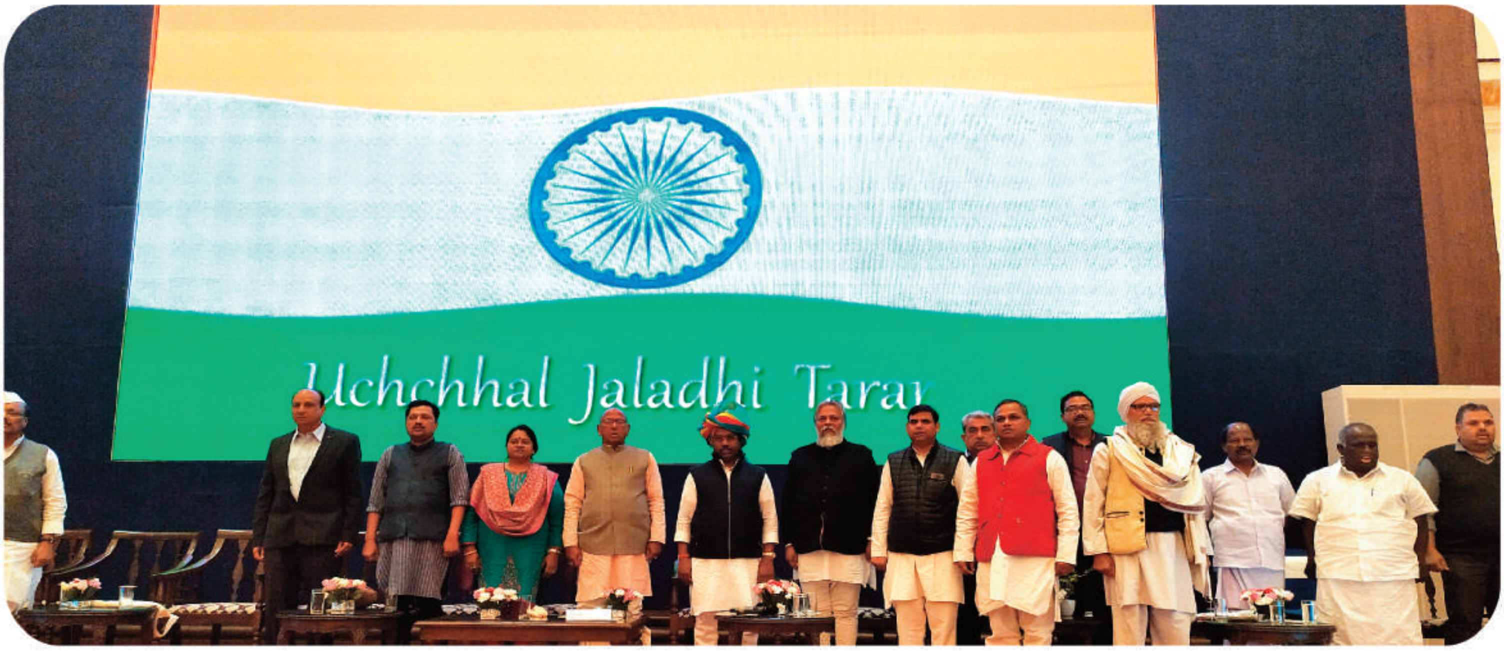

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने रचनात्मकता एवं नयापन के लिए जाने जाते है, इसलिए हमने इस इस सम्मेलन में 25 प्रदेशों के पानी पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कियाहै। उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि जो जल अधिकार सम्बधित बिल ला रहे है उसे कैसे अन्य प्रदेश की सरकारे आगे लेकर जा सकती है। पिछले एक साल से सरकार ने अपने राज्य की जनता को पानी के साथ जोडने के लिए मालिकाना भाव पैदा किया है तथा इस इसमें उनकों पूरी तरह शामिल किया है। मध्य प्रदेश सरकार अब इस स्थिति में है कि अब ऐसा कानून इस राज्य में बनें जिसमें हर गांव एवं शहर का आदमी को पीने का पानी मिले, लेकिन यह तभी सफल होगा जब समाज अपनी तरफ से आगे आयें जल संरक्षण को अपना काम माने। इस सम्मेलन में भाग लेने पुणे आये अन्तराष्ट्रीय जल अधिकार कानून के विशेषज्ञ डॉ0 अनुपम सर्राफ ने कहा कि जल नीति और कानूनी प्रक्रिया की बडी भूमिका रही है, पीने के लिए वर्षा के पानी का शोधन कर पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। जल जन जोडो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संजय सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि जल संरक्षण एवं सम्बर्द्धन में सरकार और समुदाय दोनों की बराबर सहभागिता आवश्यक है। जिसे वाटर बजटिंग, वाटर सिक्योंरिटी प्लान बनाकर जल सहेली एवं पानी पंचायत के माध्यम से सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है। सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए म0प्र0 सरकार के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय कमलेशवर पटेल ने कहां कि म0प्र0 सरकार ने सरोवर प्राधिकरण की स्थापना की है आज देश भर से आये जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता विशेषज्ञो को बताते हुए हर्ष है कि सरोवर प्राधिकरण के माध्यम से पुराने तालाबों को पुर्नजी. वित किया जायेगा और नये तालबो को निर्मित किया जायेगा, इसी प्रकार से 40 नदियों को पुर्नरुद्धार की कार्य योजना तैयार की गई है जिस पर कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसके परिणाम दिखाई देंगे। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को जल सम्पन्न राज्य बनाना है। इस अवसर पर वाल्मी मध्य प्रदेश के पूर्व निर्देशक के. जी. व्यास ने नदी पुर्नजीविन के कार्य योजना को विस्तार से बताया और आने वाले समय में इस प्रयास में सभी के सहयोग की अपेक्षा की।

इस सम्मेलन में श्री सुबोध जैन (अधीक्षण मंत्री) श्री आलोक जैन (जी.एम. जल विभाग)
श्री अजय दिवाकर (कार्यपालन यंत्री) श्री फारुक अहमद (पीरामल फाउन्डेशन) श्री पान सिंह रावत (शीघ्रलेखक)
श्रीमती मेघा श्रीवास्तव (वि.ख. समन्वयक) श्रीमती सरस्वती राजपूत (वि.ख. समन्वयक)
श्रीमती नीतु, (वि.ख. समन्वयक) श्री आशुतोष व्यास (पीरामल फाउन्डेशन) श्री रियाज मीर (पीरामल फाउन्डेशन)
श्री संतोष (पीरामल फाउन्डेशन) श्री सुबोध मिश्रा (सी.एफ.ओ. जल निगम) श्री उदित गर्ग (कार्यपालन यंत्री)
श्री सुनिल चतुर्वेदी (कार्यपालन यंत्री) कु. वर्षा शिवपुरे (सहायक यंत्री) श्रीमती प्रियंका सिंह (उपमंत्री)
श्री शांडिल्य (कार्या , प्र.अ.) श्री स्वदेश मालवीय (कार्यपालन यंत्री) श्री सी.एस.कावलकर श्री निरज गोल्हानी
श्री आर. के. चावला (सहायक मंत्री) श्री पाठक (सहायक मंत्री) श्री सुनिल खरे (अधीक्षण यंत्री)

लोक संघर्ष मोर्चा की प्रतिभा सिन्दे, पश्चिम बंगाल से जल बिरादरी की राज्य संयोजक स्नेहल डोण्डे, नीरी पुणे से डा0 कृष्णा खेरनार, आशीष शर्मा, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रमोद कुमार पाण्डे, कर्नाटक के राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता वी आर पाटिल, यशुदा के निदेशक डा0 सुमन्त पाण्डे ने जल साक्षरता के लिए उनके राज्यों में किये जा रहे प्रयासों के बारे में बताया, जल बिरादरी हैदराबाद से सत्यानारायण, जल बिरादरी पुने से नरेन्द्र चुंग, दिल्ली से गांधीवादी चिन्तक रमेश शर्मा आईटीसी के अनिल यादव और जैन एरिगेशन, राजेन्द्र सिंह, अखिलेश यादव, ने जल संरक्षण, सम्बर्द्धन पर अपने–अपने विचार एवं मॉडल को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर वी0एस0 सोंलकी, आर के दवे, अर्चना सिंह, मुख्य अभियंता आलोक जैन, अजय जैन, के जी व्यास, डॉ0 दीपक खरे, युवराज अहूजा, योगेश बन्धु, मौलिक सिसोदिया, मेजर हिमाशु, रामबाबू तिवारी, बसन साहू, रवि लंगर, मालिनी लंगर, विजय टेलर, अविनाश ़विदी, चण्डी प्रसाद पाण्डे, आशीष शर्मा, घनश्याम मिश्रा, ऋषि पाठक, कैलाश चन्द्रवंशी, उत्कर्ष सिन्हा, डॉ0 डी थोमस, बुन्देलखण्ड से आयी जल सहेली पुनिया बाई, ऊषा, गंगा, गेदा, सहित 600 पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, विषय विशेषज्ञ, जल सहेली, जल योद्धा उपस्थित रहें।

राष्ट्रीय जल सम्मेलन के आयोजन में पी0एच0ई0 विभाग की अग्रणी भूमिका रही। जिससे विभाग और जल जन जोडो अभियान की टीम ने अथक प्रयास करके इस राष्ट्रीय जल सम्मेलन को सफल बनाया।

भोपाल घोषना
राष्ट्रीय जल सम्मेलन

हम भारत के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते है कि राज्य के जल ईकाईयों को बचाने एवं संरक्षण की मुहिम चलायी है और आगे वाली पीढियों के लिए जल उपलब्ध कराने का बेडा उठाया है। हम उनके समझ की सराहना करते है जिन्होंने जल संरचनाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के सपने को साकार करने के लिए जल अधिकार कानून निर्माण किया।

हम भारत के लोगों का मानना है कि आवश्यक है :–

1.जल संरचनाओं की रक्षा और संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों को जिम्मेदारी दी जाये

2.इस स्वप्न को साकार करने की आवश्यकता है

☐ सभी स्थानीय जल संरचनाओ चिन्हाकंन, सीमाकंन और राजपत्रितकरण किया जाये

☐ जल संरचनाओं शोषण, अतिक्रमण और प्रदूषण स्थिति की एक वार्षिक रिर्पोट प्रकाशित की जाऐं एवं शोशल ऑडिट किया जाय

☐ नदी के पुनरूद्धार, जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यान्वयन को जब तक पूरा नहीं करते है तब तक बस्तियों के विकास को रोका जाए

☐ प्रत्येक व्यक्ति को अपने जल निकाय पर निर्भर करें ताकि वह इसे संरक्षित और संरक्षित करने में भाग ले सके।

4. इसे सक्षम करने के लिए, यह सुविधाजनक बनाना महत्वपूर्ण है। जल निकायों के साथ रहने वालों की नदी पंचायतें यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति पानी के उपयोग से वंचित नहीं है या उस अनुमेय से परे किसी भी विशेषाधिकार की अनुमति नहीं देता है और वार्षिक शारीरिक लेखा परीक्षा के साथ जल निकाय की रक्षा करता है।ख। नदी बेसिन में सभी नदी पंचायतों के प्रतिनिधियों के नदी संसारों को जलसंकट की जैविक, पारिस्थितिक और हाइड्रोलॉजिकल अखंडता की रक्षा और संरक्षण करना है।

5. सुनिश्चित करें कि जल निकायों पर शोषण, अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण गतिविधियों का निषेध है।

6. इसे सक्षम करने के लिए, यह आवश्यक है। स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गई सामाजिक गतिविधियों को उन निषिद्ध गतिविधियों को सूचीबद्ध करने के लिए तैयार किया गया था जो उन्हें होने से रोकते थे।ख। नदी पंचायतें अपने भौतिक आडिट में देखी और रोकी गई निषिद्ध गतिविधियों को सूचीबद्ध करती हैं।

7. सुनिश्चित करें कि गतिविधियों का एक प्रोत्साहन है जो जल निकायों के संरक्षण और संरक्षण का कारण बनता है, जहां वे उत्पन्न होते हैं।

8. इसे सक्षम करने के लिए, यह आवश्यक है। स्थानीय निकायों को शोषण, अतिक्रमण और प्रदूषण की आक्रामकता से स्थानीय जल निकायों को मुक्त करने के लिए योजनाएं बनाना है।ख। नदी पंचायतें जल निकायों और उन पहाड़ों और जंगलों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए कार्यक्रम बनाती हैं जहाँ उनकी उत्पत्ति होती है।

भोपाल में हस्ताक्षर किए और फरवरी 2020 के इस 11 वें दिन की घोषणा की